न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 103 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/115)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 19.04.2021

1. श्री नानालाल पिता कजोड माली, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता रामा माली, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री श्यामलाल पिता रामा माली, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः– (वक्त बहस)

1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री एच. पी. शर्मा –अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2
3. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम
1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के
प्रकरण संख्या 05 / 2018 दिनांक 27.06.2018

<u>निर्णय</u>

दिनांक 19.04.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के प्रकरण संख्या 05 / 2018 निर्णय दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध दिनांक 13.07.2018 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश

क्रमांक 449—50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में बकौल अपीलांट तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा चिकारड़ा, तहसील डूंगला के नामांतरकरण संख्या 916 दिनांक 28.07.1981 का अमल दरामद करवाकर अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 559 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2528/559 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 के खाते से हटाई जाकर अपीलांट के नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संख्या 05/2018 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 27.06.2018 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*"पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय चिकारडा पर पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी नानालाल पिता कजोड माली द्वारा शुद्धिकरण बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत पोषणीय होना नहीं पाया गया बल्कि प्ररकण भूमि विनिमय से संबंधित है। अतः प्रकरण में प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एच. पी. शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.03.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 के तहत पेश कर नामांतरकरण संख्या 916 दिनांक 28.07.1981 का अमल दरामद करवाकर अन्य आराजीयात के साथ आराजी नम्बर 559 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2528/559 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 के खाते से हटाई जाकर अपीलांट के नाम दर्ज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प चिकारडा में पत्रावली रेस्पोडेंट जवाब दावे हेतु नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जबकि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्ष उपस्थित होकर राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंटस के पिता व देवा, किशना के संयुक्त खातेदारी की थी जिसका बंटावाडा होकर बंटवाडे का नामांतरकरण स्वीकृत हुआ व बंटवाडे में साबिक आराजी नम्बर 559 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट के बंटवाडे में दी

गई जिसका नामांतरकरण भी स्वीकृत किया गया फिर भी जमाबंदी में उक्त आराजी को रामा के नाम पर दर्ज कर दी व रामा की मृत्यु उपरांत रामा के वारीसान रेस्पोडेंट्स के नाम पर दर्ज कर दी गई जिसको अपीलांट दुरूस्ती करा अपने नाम दर्ज कराये जाने का अधिकारी था जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का था फिर भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर आनन फानन में प्रकरण को निस्तारण करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किया जाने योग्य है। साबिक आराजी नम्बर 559 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जो आपसी बंटवाडे से अपीलांट कर थी, जो बंटवाडा दिनांक से अपीलांट के काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्ययालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला द्वारा अपने प्रकरण संख्या 05/2018 निर्णय दिनांक 27.06.2018 से पारित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत होकर सही है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय पर गुणावगुण पर अपील निस्तारित की जाए।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपने प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 3 में यह कह कर आता है कि पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद स्वीकृत होकर डिक्री किया

गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 829 दिनांक 30.07.1979 को स्वीकृत किया गया एवं यह तथ्य जमाबंदी सम्वत् 2033–34 में लगे नोट व बंटवारा पक्षकारान के मध्य होना व सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय होने से स्पष्ट है। अब उक्त सक्षम विभाजन के बाद अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन इस आधार पर पेश किया कि कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट प्रार्थी एवं विपक्षी रेस्पोंडेण्ट के मध्य हुए किसी राजीनामे के आधार पर पंचायत द्वारा एक नामान्तकरण 28.07.81 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 415/916 भी रेकर्ड पर उपलब्ध है एवं पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण को भरने का आधार सरपंच को किया गया आवेदन एवं 5/–रू0 के स्टाम्प पर इकरारनामा होना है। उक्त नामान्तकरण पर गिरदावर द्वारा स्पष्ट नोट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण अवैधानिक खोला गया है अतः नहीं किया जाये।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी के सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन के बाद पक्षकारों के मध्य भूमियों का विभाजन करने के बाद पंचायत ने उनकी सहमति या इकरारनामा के आधार पर कोई नामान्तकरण खोले जाने की सक्षमता है अथवा नहीं। स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये विभाजन की यदि कोई अपील नहीं की गयी है तो उक्त आदेश अंतिम आदेश है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध पंचायत द्वारा उपखण्ड अधिकारी के विभाजन आदेश से पृथक जाकर भूमियों का पक्षकारान के मध्य विनियमन, अदला बदली या परिवर्तन करने की कोई सक्षमता पंचायत को नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में एवं बहस के दौरान लोक अदालत में सहमति नहीं होने इत्यादि के तथ्यों का वर्णन किया है जो उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के बरूए गौण है क्योंकि किसी भी प्रकरण में अन्ततोगत्वा गुणावगुण व क्षेत्राधिकारिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है एवं उसका विनिश्चयन किसी भी स्तर पर किया जा सकता

है। प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन से यह सुस्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेक उपयोग के बाद उक्त प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरूस्ती योग्य प्रकरण नहीं माना है, जो उचित है क्योंकि इन्द्राज दुरूस्ती उन्हीं प्रकरणों में की जा सकती है जहां भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व की प्रविष्ठियों को नहीं दोहराया हो अथवा कारण होते हुए भी सही प्रविष्ठि नहीं की गयी हो। स्पष्टतः इस प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग की कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता तथा पंचायत का नामान्तकरण प्रथमतः असक्षम व विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के स्कॉप में नहीं आना एवं प्रकरण विनियमन से संबंधित होने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर